

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1-8/2017/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा की सीमाएं, उसमें से प०ह०नं० 40 से 42 एवं प०ह०नं० 45 से 69 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और प०ह०नं० 40 से 42 एवं प०ह०नं० 45 से 69 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील देवरी का सृजन करती है, जिसमें कुल 28 पटवारी हल्के और 73 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय देवरी में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

एफ-1-8-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-8-2017-सात-शा.-6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-8/2017/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Udaipura of District Raisen from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 40 to 42 and Patrari Halka No. 45 to 69 and creates a new Tehsil Deori by comprising of Patwari Halka No. 40 to 42 and Patrari Halka No. 45 to 69. which shall be comprised of 28 Patwari Halkas and 73 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Deori.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

HARI RANJAN RAO, Principal Secy.